

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स   | नम्बर<br>अहक<br>तामीर |
|------------|---|-----------------------|
| 11/10/17   | <p>वकील फ्रीडेन उपर वकील इन्सपेक्शन<br/>की बैठक का मुकदमा बिना गवाहों का<br/>अवलोकन बिना गवाहों के बिना वकील<br/>सम्बन्ध 2071-74 के अनुसार विवादित आराजीमात<br/>पार्सी व अपार्सी गण से। ता 4 की संयुक्त<br/>सहकारियों की भूमि है। अर्थात् वकील (पार्सी)<br/>विवादित आराजीमात का संप्रेरक कोटेशन है<br/>हैकर सहकारियों है। सहकारियों की भूमि<br/>के प्रत्येक इंच पर वकील सहकारियों का उनके<br/>हिले अनुसार करार का कथित होना है।<br/>सहकारियों की भूमि पर सहकारियों के लिए<br/>लाभकारी अनुलोफ करार है। निम्न प्रकार<br/>उक्त प्रकार में विवादित है। सहकारियों<br/>के विरुद्ध बिना किसी ठोस इन्फार्म के<br/>अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना अशुचित<br/>है। उक्त प्रकार में पार्सी किसी प्रकार<br/>ठोस इन्फार्म प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है।<br/>अतः पार्सी का पार्सी पत्र<br/>कारण अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया<br/>जाता है। निर्णय श्री इजलास बुलगा वकील<br/>पत्रवाली के लिये मुकदमा बिना गवाहों<br/>के बिना नम्बर 100 है।</p> | Riy                   |